

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2017

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 टिकमाराम पुत्र वक्ताराम जाति मेघवाल निवासी माण्डल, तहसील रानी		मृतक नगाराम पुत्र हंसाजी के का०मु० 1 प्रतापराम 2 बाबुलाल 3 मोहनलाल 4 हकाराम 5 मोनाराम 6 लालाराम पि० नगाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण माण्डल 7 सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल, पंचायत समिति रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994  
उपस्थित :-

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित

-: निर्णय :-

दिनांक 29.12.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 02/1971-1972 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 14.08.1977 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 09.07.1978 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी नगाराम का पौत्र है। नगाराम व चुन्नीलाल भाई थे। नगाराम व चुन्नीलाल का रहवासीय मकान ग्राम माण्डल में स्थित है, जिसमें वे निवास करते थे, जिसमें वर्तमान में प्रार्थी एवं उसके भाई ताराराम, सोनाराम आदि परिवार वाले निवास करते हैं। प्रार्थी ने निगरानी के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है, जिसमें मार्क ए०बी०सी०डी० भाग चुन्नीलाल का मकान है तथा मार्क सी०डी०ई०एफ० नगाजी का मकान है। चुन्नीलाल के मकान के पूर्व की तरफ नगा पुत्र हंसाजी का मकान स्थित है तथा नगाजी के पश्चिम में बायोसा का मन्दिर स्थित है। नगा व वेला के परिवार वालों ने आपसी रजामन्दी से उक्त भूमि को चार भागों में विभक्त किया, जिसमें से मार्क 1 प्रार्थी का मकान, मार्क 2 ताराराम का मकान, मार्क 3 सोनाराम का मकान एवं मार्क 4 फौजाराम का मकान स्थित है। प्रार्थी के पिता वक्ताराम द्वारा अपने मकान का पट्टा संख्या 146 जारी



डा. बिजा कलेक्टर, पाली

करवाया है। इस पट्टे में पूर्व की तरफ दरवाजा व रास्ता है एवं इसी तरह ताराराम द्वारा भी पट्टा प्राप्त किया है, जिसके पट्टा संख्या 123 है, जिसके उत्तर की तरफ वक्ता पुत्र नगाजी का मकान है। इस पट्टे के उत्तर में तारा पुत्र नगाजी का मकान है। इस प्रकार उक्त पट्टे मौके पर स्थित है, इन सभी पट्टों के पश्चिम की तरफ बायोसा का मन्दिर व धर्मशाला स्थित है व इन पट्टों के पूर्व की तरफ 6 फुट की गली है, जो रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थीगण के पिता नगाराम पुत्र हंसाजी ने अपनी कोई भूमि नहीं होते हुए भी गलत पडौस एवं भुजा अंकित करते हुए तीन अलग अलग पट्टे अपने पक्ष में जारी करवाये। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करवाया है। उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं है तथा रास्ते एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमियों का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो पट्टे जारी करवाये हैं, वे गलत भुजाओं एवं मौके पर बने पट्टों के पडौस नहीं होते हुए भी गलत पडौस दर्शाकर पट्टे जारी किये गये हैं। जैर निगरानी मिसल में नक्शा एवं निरीक्षण प्रपत्र पर दिनांक अंकित नहीं है तथा पंचों द्वारा गैर कानूनी रूप से रिपोर्ट पेश की है। भूमि पर कब्जा कितना पुराना है, प्लॉट की बाजार कीमत क्या है ? आदि का अंकन नहीं किया है। पंचायत द्वारा विधिवत रूप आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया तथा न ही नियमों की पालना की। जिन आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी थी, उनको नजर अन्दाज करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो आरम्भ से ही शून्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 02/1971-1972 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 14.08.1977 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 09.07.1978 के विरुद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी नगाराम पुत्र हंसाजी ने सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान के आगे की चौतरियों का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के जो पडौस अंकित किये हैं, उसके अनुसार उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में भांबियों के पंचायत मकान तथा पश्चिम में चुना वेला होना अंकित किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल कायम करने के आदेश पारित किया। इस पर दिनांक 09.02.1974 को मिसल दर्ज रजिस्टर कर कए माह का आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में किसी प्रकार का आपत्ति पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 10.06.1976 को निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर कब्जे के समर्थन में गवाह पेश करने एवं किमत तय करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 04.08.1977 को नियम 266 के तहत 11/- रूपये में अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह नियम 266 के तहत किया गया है।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के



याप. विद्या कलेक्टर, पाली

तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व-प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 02/1971-1972 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 14.08.1977 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 09.07.1978 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)  
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)  
अति. जिला कलेक्टर, पाली